

क्रमांक :- एफ.2(1270) डी.ओ.आई. टी./संस्था / 12/5/17194/2014 जयपुर दिनांक 10/03/2014

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री जियाउल इस्लाम, सूचना सहायक, मुख्यमंत्री कार्यालय जयपुर को दूरस्थ शिक्षा (ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर) के माध्यम से M.C.A (2014-2016) की परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्री जियाउल इस्लाम, सूचना सहायक को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
2. कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/ स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिए अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
5. अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
7. अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग द्वारा किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
8. प्रशासनिक कारणों वश अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
9. परीक्षा के दिवसों में लिये गये अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किये गये हों, के अनुसार उचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने का सम्पूर्ण जिम्मा सम्बन्धित विभाग का होगा।
10. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किये जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता गैर मान्यता के संबंध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं माना जायेगा।

Sd/-
(जयसिंह)

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

प्रतिलिपिक:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. अनुभागधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय जयपुर।
2. श्री जियाउल इस्लाम, सूचना सहायक मुख्यमंत्री कार्यालय जयपुर।
3. निजी/रक्षित पत्रावली

4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट।

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक :-प.2(2158) डी.ओ.आई.टी./संस्था/14/1/17192/2014

जयपुर दिनांक 10/03/2014

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री रविन्द्र कुमार, सूचना सहायक, कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजकीय चिकित्सालय कुचामन सिटी, नागौर को SR TEACHER GRADE II COMPETATIVE EXAM -2013 सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्री रविन्द्र कुमार, सूचना सहायक को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
2. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
3. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
4. प्रशासनिक कारणोंवश प्रतियोगी की परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

—sd—
(जयसिंह)
कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजकीय चिकित्सालय कुचामन सिटी, नागौर।
2. श्री रविन्द्र कुमार, कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजकीय चिकित्सालय कुचामन सिटी, नागौर।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी प्रेषसाइट।

—sd—
कार्यालयाध्यक्ष

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

कंमाक :-प.2(1386) डी.ओ.आई.टी./संस्था/12/1/17190/2014

जयपुर दिनांक 10/03/2014

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री विनोद कुमार छंगाणी, सूचना सहायक, कार्यालय जिला कलक्टर, जैसलमेर (जिला ई-मित्र सोसायटी, जैसलमेर) को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2013 में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्री विनोद कुमार छंगाणी, सूचना सहायक को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
2. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
3. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
4. प्रशासनिक कारणोंवश प्रतियोगी की परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

Sd/-
(जयसिंह)
कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. अति. जिला कलक्टर, कार्यालय जिला कलक्टर, जैसलमेर।
2. श्री विनोद कुमार छंगाणी, कार्यालय जिला कलक्टर, जैसलमेर।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।

4. प्रभारी अधिकारी, वैक्सइट।

Gandhi
कार्यालयाध्यक्ष